कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail:nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 1466 / FP/UK/ROAD/67274/2020 :देहरादूनः दिनांकः 17 दिसम्बर, 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– **जनपद–पिथौरागढ़ में मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–901/2017 के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र धारचूला के बलूवाकोट–पय्यापौड़ी मोटर मार्ग के विस्तार किमी0 9.40 से किमी0 16.40 तक चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु 4.335 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन किये जाने के संबध में।**

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पंत्राक–8 बी/यू0सी0पी0/06/20/2022/एफ0सी0/1807, दिनांक–30.03.2022(प्रति संलग्न)

महोदय,

भारत सरकार, के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में 03 बिन्दुओं पर सूचना आख्या चाही गयी थी है। जिसकी अनुपालन आख्या वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा के पत्र संख्या–710/12–1(2) दिनांक–27.08.2022 एवं पत्र संख्या–1502/12–1(2) दिनांक–29.11.2022 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है जो कि निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है:–

क्र0 सं0	आपत्ति	निराकरण
1	ऑनलाईन पोर्टल के पैरा बी 2.3 पर village wise break up का ब्यौरा ठीक रूप से नहीं प्रस्तुत किया गया है। अतः राज्य सरकार दोनों ग्रामों में पड़ने वाले भू–भाग का पृथक–पृथक रूप से सम्पूर्ण ब्यौरा इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	ऑनलाईन पोर्टल के पैरा बी 2.3 पर village wise break up का ब्यौरा ठीक कर दिया गया है, एवं दोनो ग्रामों में पड़ने वाले भू–भाग का पृथक–पृथक रूप से सम्पूर्ण ब्यौरा अंकित कर दिया गया है।
2	ऑनलाईन पोर्टल के पैरा B2.4 component wise break up में प्रस्ताव में सम्मलित bridge construction का जिक्र नहीं किया गया है। अतः राज्य सरकार पैरा B2.4 component wise break up में पुल निर्माण अंकित करने का कष्ट करें।	उक्त मोटर मार्ग की कुल लम्बाई 16.400 है मार्ग के किमी0 7.00 में 30.00 मी0 स्पान का स्टील गर्डर सेतु निर्मित है परन्तु प्रस्तावित मार्ग 9.400 से 16.400 तक कुल 7.00 किमी0 लम्बाई में एल वी आर से मोटर मार्ग में परिवर्तन प्रस्तावित है। मार्ग के इस प्रभाग में कोई भी पुल प्रस्तावित नहीं है। न हीं इस प्रभाग में कोई सेतु पूर्व निर्मित है।
3.	प्रस्तावित alignment को के0एम0एल0 फाईल पर प्रदर्शित नहीं किया गया है केवल लाभान्वित गांवो को ही दर्शाया गया है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि प्रस्तावित alignment को के0एम0एल0 फाईल पर प्रदर्शित कर इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	प्रस्तावित alignment को के0एम0एल0 फाईल पर दर्शाते हुए संशोधित के0एम0एल0 फाईल को ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
4.	प्रस्ताव से यह ज्ञपात होता है कि उक्त प्रत्यावर्तन मोजूदा मार्ग के widening से संबधित है किन्तु मार्ग निर्माण हेतु दिये गये औचित्य से यह स्पष्ट नहीं होता है। अतः राज्य सरकार प्रस्तावित प्रस्ताव हेतु ऑनलाईन पैरा डी(I) पर सही औचित्य अपलोड करने का कष्ट करें।	उक्त प्रस्ताव मौजूदा मार्ग के चौडीकरण से संबधित है। मार्ग निर्माण हेतु औचित्य में भी स्पष्ट कर दिया गया है व ऑनलाईन पैरा डी (I) पर सरी औचित्य अपलोड कर दिया गया है।

5.	अमुख प्रस्ताव से यह स्पष्ट नहीं है कि पूर्व निर्मित मार्ग का निर्माण क्या 1980 से पूर्व किया गया था यदि हां तो राज्य सरकार इस संदर्भ में उपयुक्त प्रमाण पत्र जैसा कि गाइड लाईन पैरा 1.13 में वर्णित हैं प्रेषित करेगी यदि मार्ग जो पूर्व निर्मित है कि लिए कोई एफ0सी0ए01980 के प्रावधानों के अंर्तगत अनुमोदन ली गयी हो तो स्पष्ट कर इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त पूर्व निर्मित हल्का वाहन मार्ग का निर्माण वर्ष 1980 के पश्चात् वर्ष 1996 में हुआ है। इसलिए इस संदर्भ में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में हल्का वाहन मार्ग निर्मित है जिसकी चौड़ाई 4.25 मी0 है। उक्त मार्ग हेतु पूर्व में एफ0सी0ए0 1980 के तहत स्वीकृति नहीं लगी गयी है। अतः प्रस्तावित वन भूमि की कुल चौड़ाई 9.00 मी0 में ली गयी है। जिसके अंर्तगत पूर्व में 4.25 मी0 की उपलब्ध चौड़ाई को भी सम्मलित किया गया है।
6.	प्रस्ताव में प्रस्तावित चौड़ाई 9.00 मी0 ली गयी है किन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि क्या पूर्व निर्मित मार्ग की चौडाई को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। अथवा चाही जा रही चौड़ाई पूर्व चौड़ाई के अतिरिक्त है। सम्पूर्ण जानकारी को चैनेज वाइज विवरण इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	प्रस्तावित मोटर मार्ग की चौड़ाई 9.00 मी0 ली गयी है जिसमें पूर्व निर्मित मोटर मार्ग की चौड़ाई को भी सम्मिलित किया गया है। पूर्व निर्मित मार्ग को जोड़कर पूर्ण चौड़ाई 9.00 मी(चैनेज 9.400 से 16.400) में प्रस्ताव तैयार किये गये है।
7.	Employment Details para E (iii) को सही रूप में भरा नहीं गया है। राज्य सरकार Employment Details para E (iii) सही रूप से अंकित करने का कष्ट करें।	Employment Details para E (iii) को सही रूप में भर कर अंकित कर दिया गया है।
8.	राज्य सरकार एन0पी0वी0 गणना संशोधित रेट पर दिनांक–06.01.2022 के आधार पर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।	संशोधित एन0पी0वी0 की गणना कर प्रपत्र संलग्न है।
9.	मलवा निस्तारण हेतु गैर वन भूमि का चयन नहीं किया गया है।साथ ही मलवा निस्तारण भूमि पर enumeration details प्रेषित करने का कष्ट करें। साथ ही मलवा निस्तारण योजना में कैलकुलेशन सही नही की गयी है। तथा कुल गंणनाा में 11832 cum मलवा निस्तारण दर्शित नहीं है। आपसे अनुरोध है कि सही गणनित मलवा निस्तारण योजना प्रेषित करने कष्ट करें।	मलवा निस्तारण हेतु वन भूमि का चयन किया गया है, साथ ही मलवा निस्तारण भूमि पर enumeration details प्रेषित कर दिया गया है तथा मलवा निस्तारण योजना में कैलकुलेशन सही कर दिया गया है।
10.	सी0ए0 क्षेत्र में के0एम0एल0 फाइल का शेप डिजिटल मानचित्र के साथ मैच नहीं हो रहा है। अतः राज्य सरकार सी0ए0 क्षेत्र में के0एम0एल फाइल का शेप डिजिटल मानचित्र के साथ मैच करवाकर इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें साथ ही कुल भूमि में से 4.0 है0 क्षेत्र एम0डी0ऍफ आ रहा है। जिसका राज्य सरकार पुनर्वलोकन कर संशोधित करने का कष्ट करें।	सी0ए0 क्षेत्र का के0एम0एल0 फाइल का शेप डिजिटल मानचित्र के साथ मैच कर दिया गया है। साथ ही कुल भूमि में से 4.0 है0 क्षेत्र एम0डी0एफ0 आ रहा है। जिस हेतु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न किया जा रहा है।

अतः प्रश्नगत प्रकरण में वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय,

17/12/22

(एस0एस0रसाईली)

अपर प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी,

वन संरक्षण,उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या– / **FP/UK/ROAD/67274/2020** दिनांकित।

प्रतिलिपि :– 1.वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोडा को उक्त संदर्भित पत्र के कम में सचूनार्थ प्रेषित।

2. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अस्कोट, पिथौरागढ।

(एस0एस0रसाईली)

अपर प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी,